झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

पंचम् झारखण्ड विधान–सभा
पंचम् (बजट) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण– सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन के नियम– 147 के अन्तर्गत दिनांक– 01.03.2021 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :–

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01–	श्री नारायण दास, स0वि0स0 श्रीमती अपर्णासेन गुप्ता स0वि0स0 श्री इन्द्रजीत महतो स0वि0स0	"झारखण्ड राज्य में स्थायी प्रस्वीकृति प्राप्त तीन घाटानुदानित संस्कृत महाविद्यालय 01– बैद्यनाथ कमल कुमार संस्कृत महाविद्यालय, देवघर, 02– संस्कृत हिन्दी विद्यापीठ, झारखण्ड धाम, गिरिडीह आर 03– उपशास्त्री संस्कृत महाविद्यालय, डाल्टेनगंज, पलामू, जहाँ पर राज्य सरकार द्वारा शिक्षक एवं कर्मचारियों का कुल सृजित एवं स्वीकृत पदों की संख्या 35 है जिनमें से 25 शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मी वर्षो से सेवानिवृत हो चुके हैं। तीनों महाविद्यालयों में कार्यरत सेवानिवृत शिक्षक– कर्मचारीगण का वेतन भुगतान अविभाजित राज्य के समय कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा (बिहार) द्वारा होता था तथा झारखण्ड राज्य गठन पश्चात् इन सबों को वेतन भुगतान झारखण्ड सरकार द्वारा निर्गत वेतन मद की राशि में से विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग से हो रहा है। वर्त्तमान में निदेशक, उच्च शिक्षा, झारखण्ड के स्तर से वेतन निर्धारण एवं पेंशन त्रिलाभ योजना लागू करने की दिशा में पहल करते हुए निर्णय लिया जा चुका है, परन्तु आदिनांक शिक्षक– कर्मचारीगण का	उच्च तकनीकी शिक्षा

01.	02.	03.	04.
		वेतन निर्धारण एवं पेंशन त्रिलाभ से वंचित है" अतः सदन के माध्यम से सरकार से माँग करता हूँ कि उक्त महाविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतन निर्धारण कर वेतन भुगतान व पेंशन त्रिलाभ अविलम्ब दी जा, जिस ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं।	
02-	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह स0वि0स0 श्री प्रदीप यादव स0वि0स0 श्री उमाशंकर अकेला स0वि0स0	झारखण्ड राज्य में पिछड़ी जातियों की जनसंख्या 50 प्रतिशत से अधिक है, परन्तु पिछड़ी जातियों को मात्र 14 प्रतिशत आरक्षण मिल रहा है। सरकारी सहायता एवं नियुक्ति/प्रोन्नति में वर्णित समुदाय को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण नहीं मिलने से पिछड़ी जाति के लोग सरकारी सुविधा से वंचित रह जा रहे हैं। राज्य पिछड़ा आयोग ने ओ0बी0सी0 जातियों का आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर आबादी के अनुपात में आरक्षण तय करने हेतु राज्य सरकार को अनुशंसा भेजी है जिसपर निर्णय नहीं हो सका है। झारखण्ड के सरकारी सेवाओं में राज्यस्तर पर पिछड़ी जातियों के लिए मात्र 14% आरक्षण होने के कारण, आबादी के अनुरूप सरकारी सेवाओं में उनकी उपस्थिति अत्यंत ही कम है। साथ ही कई जिलों के जिलास्तरीय सेवाओं में तो पिछड़ी जाति का आरक्षण शून्य है। संबंधित जिले के पिछड़ी जातियाँ आरक्षण से वंचित हो रही है, इस कारण राज्य के बाहर के लोगों का नौकरियों में प्रवेश हो रहा है। अतएव 50 प्रतिशत से ऊपर की जनसंख्या वाले ओ0बी0सी0 समुदाय को महाराष्ट्र एवं तमिलनाडू जैसे राज्यों में मिल रहे आरक्षण के अध्ययनोपरांत पिछड़ा आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में झारखण्ड राज्य में भी पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने हेतु सरकार का ध्यानाकृष्ट कराना चाहते है।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा

कृ0पृ030-

01.	02.	03.	04.
		साथ ही पिछड़ी जाति की आरक्षण सीमा को न्यूनतम 27% तक किया जाय ताकि इनकी सरकारी सेवाओं में समुचित भागीदारी हो सके।	
03-	श्री विनोद कुमार सिंह स0वि0स0	मैं ध्यानाकृष्ट करना चाहता हूँ कि सरकार ने गत वर्ष बजट भाषण में 300 यूनिट से कम बिजली खपत करने वाले परिवारों को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली की प्रस्ताव रखा था, लेकिन व्यवहार में विपरीत कार्य हो रहा है। झारखण्ड में राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युत योजना के तहत् BPL परिवारों को कनेक्शन दिया गया। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति अनियमित रहने के कारण न ही विभाग नियमित शुल्क वसूली कर पाया, न ही ग्रमीणों के द्वारा राशि जमा की गयी, जबकि गैर BPL परिवारों ने बिना विधिवत् कनेक्शन के विद्युत लिया। फलतः आज ग्रामीण परिवारों में 25 से 30 हजार तक ब्याज समेत बिल हो चुका है। वर्त्तमान में JVNL द्वारा सख्ती बरती जा रही है। मुकदमा दर्ज हो रहा है। सम्पूर्ण गाँव/टोला के कनेक्शन काटे जा रहे हैं जिनमें गिरिडीह जिला में बिरनी प्रखंड इस अनियमितता का प्रत्यक्ष उदाहरण है। अतः लोक महत्व के उक्त विषय पर सरकार से अनुरोध होगा कि अनियमित विद्युत आपूर्ति के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र में बकाया बिल माफ हो या तात्कालीक रूप से D.P.S. ब्याज माफ किया जाय।	ऊर्जा
04-	श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन स0वि0स0 प्रो0 स्टीफन मराण्डी स0वि0स0	जामताड़ा जिला अन्तर्गत नाला प्रखण्ड में पलास्थली रेलवे स्टेशन जो अंडाल (पश्चिम बंगाल) तक जोड़ने वाली रेल लाईन है। इस पुरानी और ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन में रेल परिचालन विगत 14-15 वर्षो से बंद है। इस रेलवे लाईन को चालू करने के लिए झारखण्ड सरकार के	परिवहन

01.	02.	03.	04.
		परिवहन विभाग के Letter No- Pari VI (V-S)-412/2015-1332, दिनांक- 15/12/2015 के द्वारा चेयरमेन, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली को पत्र प्रेषित किया गया था, परन्तु अभी तक इस महत्त्वपूर्ण रेलवे स्टेशन में रेल का परिचालन नहीं हो पाया है। अतः सदन के माध्यम से उक्त रेलवे स्टेशन को चालू करने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करते है।	
05-	श्री बिरंची नारायण स0वि0स0	बोकारो सहित राज्यभर में जितने भी मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय में उत्क्रमि हुए हैं तथा जितने उच्च विद्यालय 10+2 विद्यालय में उत्क्रमित हुए है, जैसे- बोकारो जिले के 2 मध्य विद्यालय क्रमशः शिबूटांड मध्य विद्यालय एवं मानगो मध्य विद्यालय, जो उच्च विद्यालय में उत्क्रमित हो चुके हैं और पिण्डराजोड़ा उच्च विद्यालय एवं सतनपुर उच्च विद्यालय, जो 10+2 विद्यालय में उत्क्रमित हो चुके है, में आधारभूत संसाधन और मानव संसाधन की घोर कमी है। अतएव व्यापक जनहित में सदन का ध्यानाकृष्ट कराते हुए मांग करता हूँ कि उक्त सभी उत्क्रमित विद्यालयों में आवश्यक आधारभूत संसाधन जैसे- बेंच, डेस्क, भवन, कम्प्यूटर कक्ष, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, इत्यादि की उपलब्धता सुनिश्चित कराते हुए आवश्यक मानव संसाधन जैसे- शिक्षक एवं अन्य कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि इन उत्क्रमित विद्यालयों का पठन-पाठन संसाधनों के अभाव में बाधित न हो और यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता

राँची,
दिनांक- 01 मार्च, 2021 ई0।

महेन्द्र प्रसाद
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

कृ0पृ030

ज्ञाप सं0-प्र0ध्या0-03/2021-....625...../वि0 स0, राँची, दिनांक- 27/02/21

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, राँची/उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग/कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग/ऊर्जा विभाग/ परिवहन विभाग एवं स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/2/21

(एस शिराज वजीह बंटी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0- प्र0ध्या0-03/2021-....625...../वि0 स0, राँची, दिनांक- 27/02/21

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

26/2/21

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-

26/02/21